



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,
Chandigarh



मिसिल संख्या -: 9-HRC037/2020-CHA

दिनांक: 20-12-2021

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ - 160001
(email: fcforest @hry.nic.in)

विषय:- Div of 46.375 ha of forest land in favour of Executive Engineer, T.S Division, HVPNL Madanpur (Panchkula) for erection of 220 KV DC lines from 400 KC sub stn. Naggal (PGCIL) to 220 KV Sub stn sector 32 Panchkula and 220 KV sub Stn. Pinjore under Wildlife Sanctuary Khol Hi Raitan, under Forest Division Morni Pinjore and District Panchkula. (Online proposal FP/HR/ Trans/25376/2017))-regarding.

संदर्भ 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9277/6209 दिनांक 16.06.2020
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9277/4853 दिनांक 15.11.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक **24.09.2020** द्वारा **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9277/4853 दिनांक **15.11.2021** द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु **46.375** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है :

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार मोरनी पिंजोर वन मण्डल में वृक्षों की संख्या 9913 और पौधों की संख्या 2840, से अधिक नहीं होगी।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार, Nandla PF, Berwala Beat, Panchkula Range, R-70, C-1, Nada beat, Panchkula Range & R-70, C-3 Chowli Beat, panchkula Range under Morni Pinjore forest division में 13,16,84,688/- रुपये (Rs. Thirteen crore sixteen lakh eighty four thousand six hundred eighty eight only) की राशि से वन क्षेत्र में 92,750 पौधे लगाकर किया जायेगा।
- iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Nandla PF, Berwala Beat, Panchkula Range, R-70, C-1, Nada beat, Panchkula Range & R-70, C-3 Chowli Beat, panchkula Range under Morni Pinjore forest division में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 54,38,657/- रुपये (Rs Fifty four lakh thirty eight thousand six hundred fifty seven only) की राशि से 5680 पौधे लगाकर किया जायेगा।
- v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- vi. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- vii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- ix. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- x. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए “रास्ते के अधिकार” की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 35 मीटर होगी।

- xi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।
- xiii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4.6 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी।
- xv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- xvi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xvii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xviii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xx. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

-sd-

(सी० डी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(www.adgfc-mef@nic.in)
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (www.pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(www.cffcpachkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division Morni Pinjore and District Panchkula, Haryana (dfo.hniwani@yahoo.com).
6. The Executive Engineer, T.S Division, HVPNLMadanpur, Panchkula.(xentshvpnmmpur@gmail.com)

Signed by C D Singh

Date: 20-12-2021 15:23:10

Reason: Approved